

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 233 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

JAMIR MIYAN

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA1517** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **503/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA1517 का फिटनेश दिनांक 17-02-2012 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA1517	503/2019	17-09-2024	17-02-2012

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21-05-2011	15-Jan-11	NA	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 234/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

YOGENDRA PASWAN

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA0939** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **0084/2011** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA0939 का फिटनेश दिनांक 16-05-2017 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0939	0084/2011	23-01-2021	16-05-2017

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22-09-2017	NA	NA	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 235 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

RITI KUMARI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR55A5575** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **259/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR55A5575** का फिटनेश दिनांक **24-05-2017** तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR55A5575	259/2019	03-09-2024	24-05-2017

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05-09-2017	04-Apr-16	NA	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 236 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

RITI KUMARI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB7075** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **258/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06PB7075** का फिटनेश दिनांक **07-06-2017** तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB7075	258/2019	03-09-2024	07-06-2017

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14-04-2017	21-Apr-19	NA	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 237 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

PANKES RANJAN

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06F0666** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **000188/2014** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06F0666 का फिटनेश दिनांक 14-11-2019 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06F0666	000188/2014	30-09-2024	14-11-2019

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01-11-2019	28-Feb-19	NA	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 238/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ARUN KUMAR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA8544** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **455/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA8544 का फिटनेश दिनांक 25-12-2019 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA8544	455/2019	13-09-2024	25-12-2019

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13-02-2024	09-Jan-25	11-Nov-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 239/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

LAUHU MOMIN

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5211** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **00115/2011** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5211 का फिटनेश दिनांक 25-12-2019 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5211	00115/2011	11-02-2021	25-12-2019

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07-07-2021	10-Jul-19	12-May-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 240 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

AJEET KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06D7615** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **352/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06D7615 का फिटनेश दिनांक 18-01-2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06D7615	352/2019	09-09-2024	18-01-2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22-03-2020	25-01-2019	NA	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 241 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

NIBHA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA4755** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **163/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA4755 का फिटनेश दिनांक 28-03-2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA4755	163/2019	11-04-2024	28-03-2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13-06-2021	04-12-2019	NA	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 242/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AJIJUR RAHMAN

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD7620** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **362/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD7620 का फिटनेश दिनांक 24-04-2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7620	362/2019	09-09-2024	24-04-2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25-04-2021	29-10-2021	31-Mar-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 243/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PRANAY KR THAKUR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06GC9601** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **302/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06GC9601 का फिटनेश दिनांक 25-04-2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06GC9601	302/2019	05-09-2024	25-04-2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15-01-2022	15-12-2019	NA	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 244 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

RAKESH KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3162** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0034A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06P3162** का फिटनेश दिनांक 11-05-2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3162	BR2020-SC-0034A	10-01-2025	11-05-2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07-08-2022	16-May-20	29-Jun-20	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 245 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

MITHLESH SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA6081** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **547/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA6081 का फिटनेश दिनांक 26-07-2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA6081	547/2019	26-09-2024	26-07-2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18-01-2024	12-Sep-19	15-Sep-20	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 246/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MD USMAN

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30B3029** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **00551/2013** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30B3029 का फिटनेश दिनांक 15-09-2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30B3029	00551/2013	24-10-2023	15-09-2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30-06-2020	24-Sep-19	04-Apr-20	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 247 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

MANMARDAN SHUKLA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31P2251** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **000119/2014** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR31P2251 का फिटनेश दिनांक 24-11-2020 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P2251	000119/2014	08-07-2024	24-11-2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03-01-2024	30-03-2020	03-Nov-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 248/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VINOD MISHRA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6825** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0333A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6825 का फिटनेश दिनांक 15-01-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P6825	BR2020-SC-0333A	16-03-2025	15-01-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28-04-2020	07-Feb-21	10-Jul-20	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 249/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VIKASH KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P8632** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0263A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06P8632** का फिटनेश दिनांक 15-01-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P8632	BR2020-SC-0263A	08-03-2025	15-01-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02-07-2021	28-Apr-22	10-Jul-20	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 250/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SHYAM JAISWAL

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB0771** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/5** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR05PB0771** का फिटनेश दिनांक 28-01-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB0771	BR/106/SC/BUS/2019/5	08-12-2024	28-01-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19-01-2019	30-06-2021	NA	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 251 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

MRS.SARASWATI DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P0896** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **421/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P0896 का फिटनेश दिनांक 09-02-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P0896	421/2019	13-09-2024	09-02-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29-02-2024	08-Oct-19	07-06-2024	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 252/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SHEET BASANT TRANSCORP PVT LTD

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE2396** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/2** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE2396 का फिटनेश दिनांक 25-02-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE2396	BR/106/SC/BUS/2019/2	26-11-2024	25-02-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27-02-2024	26-Jan-25	08-Jun-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 253 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

JANKI SUKLA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR33P1001** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **003/2018** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR33P1001 का फिटनेश दिनांक 07-03-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR33P1001	003/2018	24-10-2023	07-03-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06-02-2024	12-Mar-22	11-Sep-21	06-Nov-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 254/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

DULARI DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR04M3051** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0079A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR04M3051** का फिटनेश दिनांक 08-03-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04M3051	BR2020-SC-0079A	22-01-2025	08-03-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30-11-2021	27-Nov-21	16-Jun-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 255 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

AASLAISHA

विषय:- आपके वाहन संख्या **JH05AH3859** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **070/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या JH05AH3859 का फिटनेश दिनांक 22-06-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
JH05AH3859	070/2019	07-04-2024	22-06-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17-02-2024	31-May-24	16-Jun-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 256/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ALOK TRAVELS

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5794** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/92** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5794 का फिटनेश दिनांक 26-08-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5794	BR/106/SC/BUS/2019/92	16-12-2024	26-08-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14-06-2021	18-Oct-20	27-Feb-21	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 257 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SMT.RITU SHARMA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4240** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **002/2015** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4240 का फिटनेश दिनांक 05-09-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4240	002/2015	27-01-2020	05-09-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-01-2024	23-11-2022	16-Jan-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 258/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SHIV KUMAR SONI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE4396** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0276A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE4396 का फिटनेश दिनांक 15-09-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4396	BR2020-SC-0276A	08-03-2025	15-09-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27-02-2024	06-Sep-24	18-Jul-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 259/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

KUNAL

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PA0906** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0394A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PA0906 का फिटनेश दिनांक 09-10-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA0906	BR2020-SC-0394A	20-03-2025	09-10-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19-10-2021	02-Feb-22	18-08-2021	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 260/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

UDAYSHANKER PD.SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2516** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/86** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2516 का फिटनेश दिनांक 13-10-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P2516	BR/106/SC/BUS/2019/86	16-12-2024	13-10-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16-11-2021	20-Sep-21	16-Oct-21	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 261 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

BRAHMDEO VERMA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC0786** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **291/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC0786 का फिटनेश दिनांक 12-11-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC0786	291/2019	05-09-2024	12-11-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21-04-2022	05-Sep-21	26-08-2021	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 262/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VIKASH KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD6996** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **028/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD6996 का फिटनेश दिनांक 12-12-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD6996	028/2019	07-04-2024	12-12-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10-03-2024	10-Dec-20	NA	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 263 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

AJAY KR SHARMA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30P0112** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/121** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30P0112 का फिटनेश दिनांक 30-12-2021 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30P0112	BR/106/SC/BUS/2019/121	29-12-2024	30-12-2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22-03-2021	23-Feb-22	29-Jun-21	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 264/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ASHOK KUMAR RAY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P5073** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0280A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR22P5073** का फिटनेश दिनांक 06-01-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P5073	BR2020-SC-0280A	08-03-2025	06-01-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27-11-2021	02-Jan-21	14-Apr-21	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 265 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SMT. SARASWATI DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PA9396** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/10/2015** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PA9396 का फिटनेश दिनांक 10-01-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA9396	BR/106/SC/10/2015	13-11-2025	10-01-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05-02-2024	07-Nov-21	19-May-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 266/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SURENDRA PD

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB8667** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0262A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB8667 का फिटनेश दिनांक 15-01-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB8667	BR2020-SC-0262A	08-03-2025	15-01-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21-04-2020	07-Feb-21	10-Jul-20	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 267 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

M/S ANAND TRAVELS

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3616** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/703/2009** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3616 का फिटनेश दिनांक 04-02-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3616	BR/106/703/2009	13-12-2024	04-02-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14-04-2021	12-Jan-22	21-Jul-21	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 268/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RANI DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC8740** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0327A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC8740 का फिटनेश दिनांक 14-02-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8740	BR2020-SC-0327A	16-03-2025	14-02-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08-02-2024	17-Feb-21	16-08-2022	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 269/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SANJAY RAO

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7745** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-1094A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE7745 का फिटनेश दिनांक 14-02-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7745	BR2021-SC-1094A	18-06-2026	14-02-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04-02-2024	13-Apr-22	28-Sep-24	28-Feb-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 270/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MUKESH KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31P5809** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0084A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR31P5809** का फिटनेश दिनांक 19-02-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P5809	BR2020-SC-0084A	22-01-2025	19-02-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18-01-2024	11-Jan-21	25-Mar-20	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 271 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

RAJA RAY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA7935** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-1075A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR31PA7935** का फिटनेश दिनांक 08-03-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA7935	BR2021-SC-1075A	17-06-2026	08-03-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03-03-2024	03-Apr-22	03-Apr-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 272/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

CHANDRA BHUSHAN SHARMA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PA7543** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **308/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PA7543 का फिटनेश दिनांक 12-03-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PA7543	308/2019	06-09-2024	12-03-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01-03-2024	28-Feb-22	21-Aug-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 273 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SUMANTH SAURABH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB6796** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/44** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB6796 का फिटनेश दिनांक 13-03-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB6796	BR/106/SC/BUS/2019/44	10-12-2024	13-03-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20-03-2024	24-Feb-20	08-Jun-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 274 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SMT.YASHBALA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22P1358 का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या BR2022-SC-0813A निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P1358 का फिटनेश दिनांक 18-03-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P1358	BR2022-SC-0813A	15-04-2027	18-03-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-03-2024	13-Nov-23	25-Jan-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

30/01/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 275 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

RAJESH KUMAR MEHTA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA1590** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/77** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA1590 का फिटनेश दिनांक 22-03-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA1590	BR/106/SC/BUS/2019/77	16-12-2024	22-03-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02-03-2022	28-Feb-24	11-Mar-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 276/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

FANINDAR NATH SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P0712** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0279A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P0712 का फिटनेश दिनांक 23-03-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P0712	BR2020-SC-0279A	08-03-2025	23-03-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-01-2024	05-Jan-22	07-Jul-21	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 277 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SMT.NITA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3405** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **0258/2013** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3405 का फिटनेश दिनांक 28-06-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3405	0258/2013	02-07-2023	28-06-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19-01-2024	28-Sep-22	02-Dec-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 278/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PRAKASH KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA7163** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-1543A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA7163 का फिटनेश दिनांक 19-07-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA7163	BR2021-SC-1543A	26-07-2026	19-07-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28-01-2024	28-Sep-21	06-Aug-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 279/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR YADAV

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC8121** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-1110A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC8121 का फिटनेश दिनांक 09-08-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8121	BR2022-SC-1110A	11-05-2027	09-08-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15-07-2023	15-Feb-23	15-Aug-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 280/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SANJAY KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P9886** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-1046A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P9886 का फिटनेश दिनांक 05-09-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P9886	BR2022-SC-1046A	29-04-2027	05-09-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13-04-2024	11-Jan-25	01-May-24	29-Jan-26

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 281 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

VISHWAJEET KUMAR SHAHI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD9851** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **292/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD9851 का फिटनेश दिनांक 08-09-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9851	292/2019	05-09-2024	08-09-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02-06-2024	06-09-2022	14-12-2024	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 282/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MS ANAND TRAVELS

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PE7752** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-1096A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PE7752 का फिटनेश दिनांक 15-09-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PE7752	BR2022-SC-1096A	05-05-2027	15-09-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21-02-2024	12-Jun-20	22-Sep-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 283/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

BSRTC

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PH3539** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-2550A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PH3539 का फिटनेश दिनांक 15-09-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH3539	BR2022-SC-2550A	29-11-2027	15-09-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01-04-2024	NA	05-Jul-23	03-May-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 284/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SAVITRI MISHRA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P8209** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-1760A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P8209 का फिटनेश दिनांक 18-09-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P8209	BR2021-SC-1760A	15-08-2026	18-09-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01-03-2024	21-Dec-22	21-Jul-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

30/01/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 285 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

RAM JATAN SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2086** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-2917A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2086 का फिटनेश दिनांक 20-09-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P2086	BR2021-SC-2917A	29-11-2026	20-09-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10-02-2024	13-Jul-22	06-Jan-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 286/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PAVAN KUMAR RAY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6227** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-1083A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06P6227** का फिटनेश दिनांक 27-09-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P6227	BR2022-SC-1083A	03-05-2027	27-09-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10-07-2022	09-Sep-22	06-Aug-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 287/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SHUBHASISH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC3872** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **251/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC3872 का फिटनेश दिनांक 28-09-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC3872	251/2019	04-09-2024	28-09-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21-01-2022	01-09-2023	16-May-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 288/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

GANESH KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA4186** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-1318A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA4186 का फिटनेश दिनांक 28-09-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA4186	BR2022-SC-1318A	05-06-2027	28-09-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05-02-2024	19-Nov-19	05-Jan-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 289/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MANOJ RAUT

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3967** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0199A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06P3967** का फिटनेश दिनांक 29-09-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3967	BR2022-SC-0199A	18-01-2027	29-09-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19-02-2024	10-Jan-25	11-Jul-24	12-Jan-26

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 290/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SUCHITA CHAUDHARY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PJ9595** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0146A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR01PJ9595** का फिटनेश दिनांक 15-10-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PJ9595	BR2020-SC-0146A	09-02-2025	15-10-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11-05-2022	09-Feb-23	20-Jun-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 291 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

GYAN VARDHAN KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA2784** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-1384A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA2784 का फिटनेश दिनांक 24-10-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA2784	BR2021-SC-1384A	19-07-2026	24-10-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20-03-2024	19-Mar-22	02-Jul-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 292/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

GITA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB8940** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0009A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB8940 का फिटनेश दिनांक 16-11-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB8940	BR2020-SC-0009A	03-01-2025	16-11-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29-01-2024	18-Feb-23	01-Aug-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 293 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

GEETA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA8640** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **00111/2014** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA8640 का फिटनेश दिनांक 17-11-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA8640	00111/2014	26-06-2024	17-11-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20-03-2024	22-Jun-20	01-Aug-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 294 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SHATRUDHAN THAKUR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB8240** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **0473/2013** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB8240 का फिटनेश दिनांक 17-11-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB8240	0473/2013	04-10-2023	17-11-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27-03-2024	25-Jul-19	01-Aug-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 295 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

RANDHIR KR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR25A9465** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0878A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR25A9465** का फिटनेश दिनांक 18-11-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR25A9465	BR2022-SC-0878A	19-04-2027	18-11-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02-10-2023	26-Feb-24	17-Oct-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 296/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SHATRUDAN THAUR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4140** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0011A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4140 का फिटनेश दिनांक 23-11-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4140	BR2020-SC-0011A	03-01-2025	23-11-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20-01-2024	02-Jan-21	01-Feb-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 297 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

MADHASUDAN PRASAD

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1809** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0793A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P1809 का फिटनेश दिनांक 09-12-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P1809	BR2022-SC-0793A	15-04-2027	09-12-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12-04-2024	20-Mar-24	21-Dec-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 298/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

CHANDRABHUSHAN SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **UP65AT0001** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0156A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या UP65AT0001 का फिटनेश दिनांक 15-12-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
UP65AT0001	BR2022-SC-0156A	13-01-2027	15-12-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01-03-2024	29-Jan-24	01-Aug-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 299/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

BARUN PRAKASH PANDEY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PA9596** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/68** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PA9596 का फिटनेश दिनांक 20-12-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA9596	BR/106/SC/BUS/2019/68	15-12-2024	20-12-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05-03-2024	10-Oct-22	08-Jun-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 300/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AJAY KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PB6321** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-1585A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PB6321 का फिटनेश दिनांक 21-12-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PB6321	BR2021-SC-1585A	28-07-2026	21-12-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28-03-2024	24-Jan-22	19-May-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 301 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

RAM BABU RAI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3861** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0257A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3861 का फिटनेश दिनांक 24-12-2022 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3861	BR2020-SC-0257A	08-03-2025	24-12-2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02-11-2023	07-Oct-23	07-Feb-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 302/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ABHISHEK KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR3P0991** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0437A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR3P0991** का फिटनेश दिनांक 07-01-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR3P0991	BR2022-SC-0437A	24-02-2027	07-01-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-03-2024	22-Nov-23	08-Jul-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 303/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SANTOSH KUMAR RAY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB5427** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-1092A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06PB5427** का फिटनेश दिनांक 12-01-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB5427	BR2022-SC-1092A	05-05-2027	12-01-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07-02-2024	13-Jan-23	29-Jun-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 304/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

DINESHWAR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA5445** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-1914A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA5445 का फिटनेश दिनांक 13-01-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5445	BR2021-SC-1914A	30-08-2026	13-01-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29-03-2024	11-Jan-23	14-Jan-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 305 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PL7545** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0479A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PL7545 का फिटनेश दिनांक 24-01-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL7545	BR2021-SC-0479A	04-03-2026	24-01-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24-01-2024	08-Jan-22	26-Jun-24	09-Apr-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 306/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PL7541** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0506A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PL7541 का फिटनेश दिनांक 24-01-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL7541	BR2021-SC-0506A	05-03-2026	24-01-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24-04-2024	15-Jan-22	24-Aug-23	07-Apr-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 307/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

M/S BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PL7527** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0542A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR01PL7527** का फिटनेश दिनांक 24-01-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL7527	BR2021-SC-0542A	08-03-2026	24-01-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24-01-2024	10-Jan-22	26-Jun-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 308/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

M/S BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PL7603** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0564A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PL7603 का फिटनेश दिनांक 26-01-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL7603	BR2021-SC-0564A	09-03-2026	26-01-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26-01-2024	10-Jan-22	25-Jun-24	09-Apr-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 309/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RITU SHAMRA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF2740** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0483A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF2740 का फिटनेश दिनांक 31-01-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2740	BR2021-SC-0483A	04-03-2026	31-01-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10-02-2024	14-Jan-22	15-Jan-25	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 310/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

CHANDAN KUMAR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3654** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0497A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3654 का फिटनेश दिनांक 06-02-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3654	BR2021-SC-0497A	05-03-2026	06-02-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26-03-2024	02-Feb-23	12-Mar-24	30-Jul-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 311/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

BHUNESHWAR PD.SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P1821** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-1013A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P1821 का फिटनेश दिनांक 06-02-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P1821	BR2021-SC-1013A	08-06-2026	06-02-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27-02-2024	02-Feb-23	12-Mar-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 312/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AMIT KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD8262** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0240A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD8262 का फिटनेश दिनांक 08-02-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8262	BR2021-SC-0240A	12-02-2026	08-02-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17-04-2021	02-May-22	07-Feb-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

30/01/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 313/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SUNITA KUMARI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR09M2625** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0037A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR09M2625** का फिटनेश दिनांक 13-02-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR09M2625	BR2021-SC-0037A	18-01-2026	13-02-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23-01-2024	02-Feb-23	08-Oct-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 314/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ARUN KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1556** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-2402A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P1556 का फिटनेश दिनांक 16-02-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P1556	BR2022-SC-2402A	10-11-2027	16-02-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-01-2024	14-Feb-23	10-Nov-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 315/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PL8616** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0543A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PL8616 का फिटनेश दिनांक 19-02-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL8616	BR2021-SC-0543A	08-03-2026	19-02-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14-01-2024	14-Jan-22	24-Aug-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 316/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

LAL BAHADUR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB3899** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **571/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06PB3899** का फिटनेश दिनांक 23-02-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB3899	571/2019	30-09-2024	23-02-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01-08-2023	16-Jun-23	16-06-2023	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 317/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RITU SHARMA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC1240** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/19** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC1240 का फिटनेश दिनांक 27-02-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC1240	BR/106/SC/BUS/2019/19	08-12-2024	27-02-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27-02-2023	23-11-2021	01-08-2024	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 318/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SANJAY KMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA6186** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0808A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA6186 का फिटनेश दिनांक 22-03-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA6186	BR2022-SC-0808A	15-04-2027	22-03-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27-04-2024	26-Apr-20	03-May-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 319/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

KRISHNA SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P7251** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **0449/2013** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR22P7251** का फिटनेश दिनांक 31-03-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P7251	0449/2013	03-10-2023	31-03-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29-02-2024	20-Sep-19	28-Dec-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 320/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

HARI BANSH NARAYAN SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR24P3102** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0692A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR24P3102** का फिटनेश दिनांक 25-04-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR24P3102	BR2021-SC-0692A	24-03-2026	25-04-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14-04-2024	15-Mar-22	18-Apr-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 321 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

ANJALI SHAHI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF5882** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0851A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF5882 का फिटनेश दिनांक 04-05-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF5882	BR2022-SC-0851A	18-04-2027	04-05-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29-03-2024	15-Apr-23	30-10-2024	21-Jun-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 322/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

CHANRA BHUSHAN SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22M7071** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0010A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR22M7071** का फिटनेश दिनांक **11-05-2023** तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22M7071	BR2020-SC-0010A	03-01-2025	11-05-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22-02-2024	09-May-23	21-May-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 323/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VINITA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P4575** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/125** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR05P4575** का फिटनेश दिनांक 23-05-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P4575	BR/106/SC/BUS/2019/125	30-12-2024	23-05-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15-03-2024	12-Jul-21	12-Jan-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 324 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SARDA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P7071** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0361A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR22P7071** का फिटनेश दिनांक 26-05-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P7071	BR2020-SC-0361A	17-03-2025	26-05-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12-03-2024	29-Apr-23	28-Dec-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 325 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

VINITA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22Q7071** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-1016A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR22Q7071** का फिटनेश दिनांक 26-05-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22Q7071	BR2021-SC-1016A	09-06-2026	26-05-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22-02-2024	06-May-23	07-Dec-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

30/01/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 326/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

M/S ALOK TRAVELS

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD9016** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **020/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD9016 का फिटनेश दिनांक 04-06-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9016	020/2019	07-04-2024	04-06-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30-11-2024	30-Nov-24	12-Sep-24	08-Jun-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 327 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

CHANDRA BHUSHAN SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6946** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0767A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6946 का फिटनेश दिनांक 06-06-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P6946	BR2023-SC-0767A	03-03-2028	06-06-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06-02-2024	04-Jan-24	16-Feb-24	17-Aug-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 328/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

JITENDRA KUMAR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD4240** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0484A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD4240 का फिटनेश दिनांक 07-06-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD4240	BR2020-SC-0484A	17-09-2025	07-06-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27-03-2023	08-Mar-23	24-Jun-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 329/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SUSHIL KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1969** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **524/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P1969 का फिटनेश दिनांक 09-06-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P1969	524/2019	22-09-2024	09-06-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08-04-2024	11-Jun-22	09-Jun-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 330/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VIJAY KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA4056** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-1075A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA4056 का फिटनेश दिनांक 09-06-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA4056	BR2023-SC-1075A	09-04-2028	09-06-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-01-2024	05-Jun-23	14-Dec-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 331 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

MADHUKAR KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD1001** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **002/2018** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD1001 का फिटनेश दिनांक 14-06-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD1001	002/2018	24-10-2023	14-06-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17-03-2024	08-Jun-22	27-Sep-24	

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 332/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SMT.VINITA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4227** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0347A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4227 का फिटनेश दिनांक 14-06-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4227	BR2021-SC-0347A	25-02-2026	14-06-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01-01-2024	09-Jun-21	08-Apr-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 333 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

MINI DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD1696** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **0647/2010** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD1696 का फिटनेश दिनांक 17-06-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD1696	0647/2010	09-08-2025	17-06-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15-03-2024	11-Feb-23	15-Jun-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 334/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

M/S ALOK TRAVELS

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD1116** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0095A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD1116 का फिटनेश दिनांक 18-06-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD1116	BR2021-SC-0095A	28-01-2026	18-06-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05-05-2022	09-Jun-22	08-Sep-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 335 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4871** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0424A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4871 का फिटनेश दिनांक 20-06-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4871	BR2021-SC-0424A	02-03-2026	20-06-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11-01-2024	09-Jun-21	21-Nov-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 336/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

M/S ALOK TRAVELS

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD8916** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **021/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD8916 का फिटनेश दिनांक 25-06-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8916	021/2019	07-04-2024	25-06-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26-09-2023	30-11-2024	30-Mar-23	08-Jun-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 337/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MAN MARDAN SHUKLA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC8051** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **0201/2013** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC8051 का फिटनेश दिनांक 09-07-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8051	0201/2013	29-06-2023	09-07-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02-04-2024	02-Jun-22	07-Jul-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 338/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SUSHILA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR04J2664** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-1006A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR04J2664** का फिटनेश दिनांक 11-07-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04J2664	BR2021-SC-1006A	07-06-2026	11-07-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-03-2024	04-Feb-22	03-May-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 339/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RANBIR KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA8840** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0815A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA8840 का फिटनेश दिनांक 15-07-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA8840	BR2021-SC-0815A	09-04-2026	15-07-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04-03-2024	12-Jul-23	01-Aug-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 340/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MAHIP KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE4511** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0707A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE4511 का फिटनेश दिनांक 19-07-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4511	BR2021-SC-0707A	26-03-2026	19-07-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19-01-2024	18-Jul-24	30-Sep-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 341 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

MD.ISODULLAH & OTHERS

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3656** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **474/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3656 का फिटनेश दिनांक 28-07-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3656	474/2019	15-09-2024	28-07-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26-03-2024	19-Jul-23	09-01-2024	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 342/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

DULARI DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB1653** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **050/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB1653 का फिटनेश दिनांक 01-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB1653	050/2019	07-04-2024	01-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03-03-2024	19-Dec-24	17-04-2024	17-Sep-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 343 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

MUKESH CHANDRASHEKHR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA0529** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/360/2012** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA0529 का फिटनेश दिनांक 01-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0529	BR/106/SC/360/2012	26-08-2022	01-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17-11-2023	27-Aug-24	05-Oct-23	11-May-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 344/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ARVIND KR RAI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA0713** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **183/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA0713 का फिटनेश दिनांक 07-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0713	183/2019	15-04-2024	07-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04-03-2024	04-Aug-23	08-12-2023	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 345 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

ASHU AMAN

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06AB9221** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **0085/2013** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06AB9221 का फिटनेश दिनांक 07-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06AB9221	0085/2013	01-03-2023	07-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04-03-2024	18-Sep-24	13-Jul-24	03-Apr-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 346/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SATYA NARAYAN RAI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4222** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0046A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06P4222** का फिटनेश दिनांक 10-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4222	BR2020-SC-0046A	13-01-2025	10-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01-04-2024	28-Jul-24	07-Feb-24	04-Aug-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 347/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SARSWATI DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06GB9896** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/SC/106/188/2004** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06GB9896** का फिटनेश दिनांक 10-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06GB9896	BR/SC/106/188/2004	27-12-2024	10-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10-02-2024	06-Nov-22	08-Jun-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 348/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AJIT KR SHARMA U/LA BSRTC

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD7211** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0013A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD7211 का फिटनेश दिनांक 10-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7211	BR2022-SC-0013A	03-01-2027	10-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01-05-2024	22-Jul-24	24-Aug-24	24-Aug-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 349/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SHATRUGHAN THAKUR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA6440** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **20/2018** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR31PA6440 का फिटनेश दिनांक 16-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA6440	20/2018	26-10-2023	16-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-01-2024	02-11-2023	21-Sep-23	16-Aug-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 350/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SRI RAJEEV NAYAN KR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA5625** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-1179A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30PA5625 का फिटनेश दिनांक 16-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA5625	BR2023-SC-1179A	17-04-2028	16-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17-02-2024	22-Sep-23	12-Oct-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 351 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

PRIKSHAN YADAV

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD9330** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0846A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD9330 का फिटनेश दिनांक 20-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9330	BR2023-SC-0846A	10-03-2028	20-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29-01-2024	12-Jun-24	05-Mar-23	09-Oct-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 352/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MAHIP KUMAR U/L B S R TC

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD8611** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-2540A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD8611 का फिटनेश दिनांक 25-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8611	BR2022-SC-2540A	27-11-2027	25-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-01-2024	18-10-2024	20-11-2024	28-Aug-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 353/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MR VIBHUTI NARAYAN RAI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF2079** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0286A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF2079 का फिटनेश दिनांक 27-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2079	BR2022-SC-0286A	07-02-2027	27-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16-09-2023	17-Jun-24	04-Nov-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 354/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PREM KUMAR CHAUDHARY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA7465** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/250/2006** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA7465 का फिटनेश दिनांक 28-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA7465	BR/106/SC/250/2006	14-12-2026	28-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06-04-2024	12-Mar-24	16-Aug-24	16-Aug-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 355 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

RAKESH KUMAR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P7041** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-3159A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06P7041** का फिटनेश दिनांक 29-08-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P7041	BR2021-SC-3159A	20-12-2026	29-08-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15-05-2024	22-Jul-22	13-Oct-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 356/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ABHISHEK KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR1PA1661** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0823A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR1PA1661** का फिटनेश दिनांक 02-09-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR1PA1661	BR2022-SC-0823A	17-04-2027	02-09-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-01-2024	21-Dec-24	24-05-2024	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 357 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

M/S ALOK TRAVELS

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD2216** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0318A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD2216 का फिटनेश दिनांक 23-09-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD2216	BR2020-SC-0318A	16-03-2025	23-09-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21-12-2023	31-Oct-23	14-Sep-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 358/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3957** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0269A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3957 का फिटनेश दिनांक 25-09-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3957	BR2023-SC-0269A	16-01-2028	25-09-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-01-2024	31-Dec-23	18-Sep-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 359 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

UDAY SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC3178** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-2187A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC3178 का फिटनेश दिनांक 27-09-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC3178	BR2023-SC-2187A	31-07-2028	27-09-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18-01-2024	11-05-2024	05-Jun-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 360/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

NANDAN KUMAR DUBEY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR29PA6085** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0232A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR29PA6085** का फिटनेश दिनांक 28-09-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29PA6085	BR2023-SC-0232A	13-01-2028	28-09-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15-05-2023	01-May-24	15-May-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 361 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

BSRTC

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PF0455** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0312A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PF0455 का फिटनेश दिनांक 06-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PF0455	BR2023-SC-0312A	20-01-2028	06-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-03-2024	NA	28-Jul-24	22-Nov-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 362/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

BSRTC

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PF0465** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0316A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PF0465 का फिटनेश दिनांक 06-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PF0465	BR2023-SC-0316A	20-01-2028	06-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-03-2024	NA	28-Jul-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 363/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

BSRTC

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PF1220** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0314A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PF1220 का फिटनेश दिनांक 06-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PF1220	BR2023-SC-0314A	20-01-2028	06-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-03-2024	NA	28-Jul-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 364/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

BSRTC

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PF7647** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0343A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PF7647 का फिटनेश दिनांक 06-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PF7647	BR2023-SC-0343A	24-01-2028	06-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21-03-2024	NA	05-Jul-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 365 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SUBHASH CHANDRA TIWARI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR02AA1027** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-1428A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR02AA1027** का फिटनेश दिनांक 07-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR02AA1027	BR2023-SC-1428A	11-05-2028	07-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18-02-2024	20-Jan-24	02-Aug-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 366/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MR NAWAL KISHOR RAY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE5261** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0254A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE5261 का फिटनेश दिनांक 09-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5261	BR2020-SC-0254A	08-03-2025	09-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09-04-2024	02-Oct-22	21-Jun-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 367/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ARVIND SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC3940** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0441A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC3940 का फिटनेश दिनांक 15-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC3940	BR2021-SC-0441A	03-03-2026	15-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28-03-2024	25-Oct-23	20-Jun-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 368/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

USHA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8445** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0679A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE8445 का फिटनेश दिनांक 15-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8445	BR2023-SC-0679A	01-03-2028	15-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29-03-2024	12-Oct-24	05-Sep-24	09-Oct-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 369/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SHATRUGHAN PRASAD YADAV

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR28B9591** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-2080A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR28B9591** का फिटनेश दिनांक 18-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28B9591	BR2021-SC-2080A	26-09-2026	18-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23-03-2024	18-Feb-24	29-Jul-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 370/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAMESH KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE5003** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0481A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE5003 का फिटनेश दिनांक 21-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5003	BR2021-SC-0481A	04-03-2026	21-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13-04-2024	10-Mar-24	16-Apr-24	14-Jan-26

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 371 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

ASHWINI RAI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR28P2658** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0160A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR28P2658** का फिटनेश दिनांक 21-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28P2658	BR2023-SC-0160A	09-01-2028	21-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10-11-2023	12-Oct-23	14-Dec-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 372/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AMITESH KUMAR PANDEY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB1161** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **521/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PB1161 का फिटनेश दिनांक 25-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB1161	521/2019	20-09-2024	25-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26-09-2023	29-07-2023	28-11-2023	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 373 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

NITU DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PA2483** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **525/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PA2483 का फिटनेश दिनांक 25-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA2483	525/2019	22-09-2024	25-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11-03-2024	14-Sep-22	17-10-2024	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 374/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

DILIP KUMAR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P5212** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-1052A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR05P5212** का फिटनेश दिनांक 25-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P5212	BR2022-SC-1052A	29-04-2027	25-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01-12-2024	28-Sep-22	03-Jul-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 375 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

MURARI PRASAD

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR21P2086** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **458/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR21P2086 का फिटनेश दिनांक 27-10-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR21P2086	458/2019	13-09-2024	27-10-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26-07-2024	18-Sep-24	08-Aug-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 376/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PAMMI SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PA1837** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0021A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PA1837 का फिटनेश दिनांक 01-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA1837	BR2021-SC-0021A	17-01-2026	01-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19-03-2024	02-Aug-24	07-Feb-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 377/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAMESH MAHTO

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF2419** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0191A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF2419 का फिटनेश दिनांक 01-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2419	BR2022-SC-0191A	17-01-2027	01-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26-01-2024	28-Oct-24	13-Dec-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 378/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MRITUNJAY KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD5692** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0124A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD5692 का फिटनेश दिनांक 08-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD5692	BR2023-SC-0124A	09-01-2028	08-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02-08-2024	04-Jan-25	14-11-2024	10-Jan-26

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 379/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

KAMAL KISHOR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD5693** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0125A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD5693 का फिटनेश दिनांक 08-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD5693	BR2023-SC-0125A	09-01-2028	08-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02-08-2024	17-May-24	14-11-2024	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 380/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PAPPU KR MISHRA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA2960** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-1590A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA2960 का फिटनेश दिनांक 11-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA2960	BR2023-SC-1590A	01-06-2028	11-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06-04-2024	29-Feb-24	01-Sep-24	29-Mar-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 381 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SHIVAM KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE4604** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-2064A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE4604 का फिटनेश दिनांक 11-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4604	BR2023-SC-2064A	13-07-2028	11-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27-02-2024	01-Feb-24	03-Nov-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 382/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

JULI BHARTI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE5689** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0265A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE5689 का फिटनेश दिनांक 12-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5689	BR2021-SC-0265A	16-02-2026	12-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10-02-2024	03-Feb-24	03-Oct-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 383 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

RANBIR KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA7041** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/16** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR31PA7041 का फिटनेश दिनांक 13-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA7041	BR/106/SC/BUS/2019/16	08-12-2024	13-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12-02-2024	12-Nov-24	03-Oct-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 384/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

DHRUB KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD5561** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0761A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06PD5561** का फिटनेश दिनांक 14-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD5561	BR2023-SC-0761A	03-03-2028	14-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-01-2024	23-10-2024	11-May-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 385 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

NAND KISHORE NARAYAN

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE5782** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0847A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE5782 का फिटनेश दिनांक 14-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5782	BR2023-SC-0847A	10-03-2028	14-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24-01-2024	21-Mar-24	06-Dec-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 386/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SUBHASH CHANDRA TIWARI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB5625** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0852A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB5625 का फिटनेश दिनांक 15-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB5625	BR2023-SC-0852A	10-03-2028	15-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03-02-2025	28-Mar-23	24-Sep-24	01-Nov-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 387 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SHASHIKANT TIWARI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF2497** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0689A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF2497 का फिटनेश दिनांक 16-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2497	BR2023-SC-0689A	01-03-2028	16-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01-11-2023	01-Nov-23	30-Dec-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 388/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MITHILESH KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P8337** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-3168A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR22P8337** का फिटनेश दिनांक 17-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P8337	BR2021-SC-3168A	20-12-2026	17-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29-12-2022	11-Nov-22	11-May-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 389/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SADHANA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA1036** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-2509A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA1036 का फिटनेश दिनांक 17-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA1036	BR2023-SC-2509A	05-09-2028	17-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14-04-2024	14-Oct-23	05-Apr-24	29-Mar-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 390/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAMNATH PANDEY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P6289** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-1115A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P6289 का फिटनेश दिनांक 22-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P6289	BR2022-SC-1115A	12-05-2027	22-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15-02-2024	17-Feb-24	29-Nov-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 391 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

MADHUKAR KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA7007** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/22** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA7007 का फिटनेश दिनांक 24-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA7007	BR/106/SC/BUS/2019/22	08-12-2024	24-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18-10-2023	03-Dec-23	24-Nov-23	24-Nov-24

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 392/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAKESH KUMAR JHA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5338** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-3187A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5338 का फिटनेश दिनांक 24-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5338	BR2021-SC-3187A	22-12-2026	24-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29-03-2024	13-Mar-24	25-May-24	06-Nov-24

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 393 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SHANTI DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD5282** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0335A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD5282 का फिटनेश दिनांक 25-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD5282	BR2020-SC-0335A	16-03-2025	25-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10-04-2024	12-Oct-24	26-Jun-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 394/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SHANTI DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD5283** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0342A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD5283 का फिटनेश दिनांक 25-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD5283	BR2020-SC-0342A	16-03-2025	25-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10-04-2024	14-Feb-23	20-Jun-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 395 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

RAM DINESH SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD5279** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0127A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD5279 का फिटनेश दिनांक 25-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD5279	BR2023-SC-0127A	09-01-2028	25-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10-04-2024	23-Aug-24	14-11-2024	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 396/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ABHAY KUMAR TIWARI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P6887** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **108/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P6887 का फिटनेश दिनांक 28-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P6887	108/2019	11-04-2024	28-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03-02-2024	24-Nov-24	25-12-2024	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 397/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

DHIRENDRA KUMAR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB1780** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-1185A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PB1780 का फिटनेश दिनांक 28-11-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB1780	BR2022-SC-1185A	25-05-2027	28-11-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16-03-2024	18-Sep-23	18-Nov-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 398/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAKESH KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P7801** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0352A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P7801 का फिटनेश दिनांक 01-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P7801	BR2022-SC-0352A	17-02-2027	01-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29-12-2022	30-Jun-22	26-Aug-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 399/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VISHUTI NARAYAN RAY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22PA1131** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0766A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22PA1131 का फिटनेश दिनांक 02-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22PA1131	BR2023-SC-0766A	03-03-2028	02-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13-02-2024	29-Jan-25	05-Feb-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 400/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MR. SAHIL SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF2668** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0751A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF2668 का फिटनेश दिनांक 03-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2668	BR2023-SC-0751A	03-03-2028	03-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01-02-2024	05-Jan-24	07-Jan-25	06-Sep-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 401 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

VARTIKA SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR44P2480** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0702A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR44P2480 का फिटनेश दिनांक 05-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR44P2480	BR2023-SC-0702A	02-03-2028	05-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18-03-2024	15-Jan-25	26-Nov-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 402/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VIJAY KR SHUKLA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC9451** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **014/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC9451 का फिटनेश दिनांक 06-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9451	014/2019	07-04-2024	06-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20-02-2024	29-Jan-24	11-Oct-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 403 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

NAND KISHORE SAH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06G7214** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **0276/2013** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06G7214** का फिटनेश दिनांक **09-12-2023** तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06G7214	0276/2013	03-07-2023	09-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12-10-2023	30-Sep-22	02-Oct-23	

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 404/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VIJAY KR SHUKLA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC7451** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0142A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC7451 का फिटनेश दिनांक 10-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC7451	BR2021-SC-0142A	03-02-2026	10-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15-03-2024	27-Oct-23	11-Oct-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 405 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SAURAV SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE6423** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-2082A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE6423 का फिटनेश दिनांक 11-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6423	BR2021-SC-2082A	26-09-2026	11-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08-03-2024	08-Dec-24	08-Jan-25	01-Dec-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 406/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

NEELAM KUMARI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30B6197** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **0105/2014** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30B6197 का फिटनेश दिनांक 13-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30B6197	0105/2014	26-06-2024	13-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16-02-2024	05-Oct-21	28-Dec-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 407/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SHASHILIKA SHAHI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22PA5321** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0130A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22PA5321 का फिटनेश दिनांक 14-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22PA5321	BR2023-SC-0130A	09-01-2028	14-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27-02-2024	26-Dec-24	15-Nov-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 408/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

DIP NR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB7645** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-1044A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB7645 का फिटनेश दिनांक 15-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB7645	BR2023-SC-1044A	05-04-2028	15-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25-03-2024	10-Apr-24	13-Oct-24	03-Mar-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 409/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MITHLESH KISHORE

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P7088** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-1925A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06P7088** का फिटनेश दिनांक 15-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P7088	BR2023-SC-1925A	06-07-2028	15-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15-02-2024	29-Jun-24	07-Dec-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 410/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AVINASH KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PK7646** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-1385A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR01PK7646** का फिटनेश दिनांक 16-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PK7646	BR2021-SC-1385A	19-07-2026	16-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27-02-2024	08-Jan-25	23-Jun-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 411/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SAHIL SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE6488** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0755A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE6488 का फिटनेश दिनांक 17-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6488	BR2023-SC-0755A	03-03-2028	17-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28-01-2024	05-Jan-24	05-Mar-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 412/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

BHOLA KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P9221** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-2523A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P9221 का फिटनेश दिनांक 17-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P9221	BR2023-SC-2523A	05-09-2028	17-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-03-2024	29-Nov-23	10-Apr-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 413/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RITU SHARMA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC4840** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **018/2015** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC4840 का फिटनेश दिनांक 18-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC4840	018/2015	13-11-2020	18-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-01-2024	21-Nov-20	01-Aug-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 414/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

GODAWARI DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC3871** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **132/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06PC3871** का फिटनेश दिनांक 19-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC3871	132/2019	11-04-2024	19-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12-04-2024	15-Dec-22	28-12-2023	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 415 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

BHRIGU KUMAR JHA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB2551** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-1037A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PB2551 का फिटनेश दिनांक 19-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB2551	BR2023-SC-1037A	02-04-2028	19-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15-03-2024	15-Aug-24	11-Jul-24	21-Jan-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 416/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MAN MARDHAN SHUKLA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD3251** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **046/2018** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD3251 का फिटनेश दिनांक 22-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD3251	046/2018	27-10-2023	22-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13-03-2024	21-Oct-22	07-Jul-22	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 417/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

DAYANAND KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA8326** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/777/2011** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA8326 का फिटनेश दिनांक 25-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA8326	BR/106/SC/77 7/2011	21-11-2026	25-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03-02-2024	15-Nov- 23	23-Dec-23	09-Dec-24

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 418/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MANOJ KR RAY

विषय:- आपके वाहन संख्या **WB25D2989** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/SC/106/457/2011** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **WB25D2989** का फिटनेश दिनांक 26-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
WB25D2989	BR/SC/106/457/2011	13-07-2026	26-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10-01-2024	29-Dec-24	22-Jun-24	26-Jan-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

30/01/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 419/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

POONAM DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE5545** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0678A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE5545 का फिटनेश दिनांक 27-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5545	BR2023-SC-0678A	01-03-2028	27-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03-02-2024	15-Dec-24	07-Jan-25	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 420/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ALOK KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA1785** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0856A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR30PA1785** का फिटनेश दिनांक 28-12-2023 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA1785	BR2023-SC-0856A	10-03-2028	28-12-2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-01-2024	21-Jul-23	29-Nov-23	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 421 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SHYAM SUNDER SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P4389** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0498A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P4389 का फिटनेश दिनांक 03-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P4389	BR2021-SC-0498A	05-03-2026	03-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09-02-2024	11-Jan-22	03-Jan-25	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 422/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

NIRAJ KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P4086** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0682A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P4086 का फिटनेश दिनांक 03-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P4086	BR2023-SC-0682A	01-03-2028	03-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-03-2024	04-Jan-25	13-Dec-24	06-Oct-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 423 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

GODAVARI DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC7839** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/84** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC7839 का फिटनेश दिनांक 04-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC7839	BR/106/SC/BUS/2019/84	16-12-2024	04-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26-02-2024	23-Feb-22	15-Apr-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 424/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MANOJ SHARMA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1848** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-2582A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P1848 का फिटनेश दिनांक 08-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P1848	BR2023-SC-2582A	11-09-2028	08-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03-02-2024	23-Jan-25	10-Jul-24	11-Jan-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 425 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

MANOJ SHARMA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1849** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-2584A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P1849 का फिटनेश दिनांक 08-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P1849	BR2023-SC-2584A	11-09-2028	08-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03-02-2024	23-Jan-25	10-Jul-24	11-Jan-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 426/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

DILIP KR SINHA

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31P8125** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2021-SC-0667A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR31P8125** का फिटनेश दिनांक 11-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P8125	BR2021-SC-0667A	19-03-2026	11-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28-01-2024	03-Jan-24	03-May-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 427 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

ANIRUDDH PRASAD

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P8647** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **660/2009** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P8647 का फिटनेश दिनांक 12-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P8647	660/2009	27-11-2024	12-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03-04-2024	17-Feb-24	17-Mar-24	04-Jan-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 428/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAGHVENDRA NARAYAN YADAV

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD5352** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **404/2019** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD5352 का फिटनेश दिनांक 13-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD5352	404/2019	12-09-2024	13-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16-04-2024	29-Aug-24	07-Nov-24	04-Aug-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 429 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

VINA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE6980** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0494A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE6980 का फिटनेश दिनांक 16-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6980	BR2020-SC-0494A	21-09-2025	16-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29-03-2024	08-Jan-25	29-Oct-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 430/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VINA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE6981** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0626A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE6981 का फिटनेश दिनांक 16-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6981	BR2020-SC-0626A	25-12-2025	16-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29-03-2024	08-Jan-25	29-11-2024	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 431 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

MURARI PRASAD B S R T C

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PK9148** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0457A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PK9148 का फिटनेश दिनांक 16-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PK9148	BR2022-SC-0457A	01-03-2027	16-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19-01-2024	02-Dec-24	03-Jan-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 432/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PRAMOD KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA6051** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-1054A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA6051 का फिटनेश दिनांक 16-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA6051	BR2022-SC-1054A	29-04-2027	16-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08-03-2024	25-Apr-24	26-Jul-24	12-Jan-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 433 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

SUMANTH SAURABH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PH6715** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-1043A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR01PH6715** का फिटनेश दिनांक 16-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH6715	BR2023-SC-1043A	04-04-2028	16-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29-03-2024	11-Aug-23	13-Jul-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

30/01/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 434/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

JITENDRA KR RAY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31P9692** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-1438A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR31P9692** का फिटनेश दिनांक 16-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P9692	BR2023-SC-1438A	11-05-2028	16-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13-02-2024	07-Dec-24	22-Jul-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 435 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

JITENDRA KR RAY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31P9691** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-1887A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR31P9691** का फिटनेश दिनांक 16-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P9691	BR2023-SC-1887A	04-07-2028	16-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16-02-2024	07-Dec-24	22-Jul-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 436/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AMARTYA KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4143** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0408A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4143 का फिटनेश दिनांक 17-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4143	BR2022-SC-0408A	22-02-2027	17-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05-12-2023	15-Jan-23	06-Jan-24	08-Jan-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 437 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

DINESHWAR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB7245** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-1113A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06PB7245** का फिटनेश दिनांक 17-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB7245	BR2022-SC-1113A	12-05-2027	17-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01-04-2024	10-Apr-24	03-Sep-24	05-Jan-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 438/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VINA DEVI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA0634** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA0634 का फिटनेश दिनांक 17-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0634			17-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30-11-2023	25-Nov-23	21-Nov-23	03-Jan-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 439/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SUN TRANSMOVERS INDIA PVT.LTD.

विषय:- आपके वाहन संख्या **UP86T1352** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2023-SC-0242A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **UP86T1352** का फिटनेश दिनांक 19-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
UP86T1352	BR2023-SC-0242A	15-01-2028	19-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24-12-2023	25-Mar-22	05-Apr-24	19-Jan-25

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 440/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AJEET KUMAR

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7136** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-2662A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE7136 का फिटनेश दिनांक 22-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7136	BR2022-SC-2662A	18-12-2027	22-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10-04-2024	10-Jan-25	13-Apr-24	22-Jan-26

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 441 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

KHUSHBU KUMARI

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9196** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2022-SC-0801A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE9196 का फिटनेश दिनांक 23-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE9196	BR2022-SC-0801A	15-04-2027	23-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08-10-2024	19-Jan-25	14-Nov-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 442/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MD JAHOGIR ALAM

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA2933** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR2020-SC-0398A** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30PA2933 का फिटनेश दिनांक 24-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA2933	BR2020-SC-0398A	20-05-2025	24-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03-03-2024	03-Dec-23	16-Jul-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

30/01/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 443/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VINAY KUMAR MISHRA

विषय:- आपके वाहन संख्या UP53DT2069 का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या BR2023-SC-0284A निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या UP53DT2069 का फिटनेश दिनांक 24-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।


वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
UP53DT2069	BR2023-SC-0284A	18-01-2028	24-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31-01-2024	09-Sep-24	24-Jul-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 444/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

BHUPENDRA SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC5455** का फिटनेश वैध नहीं रहने के कारण परमिट संख्या **BR/SC/106/518/2011** निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या **BR06PC5455** का फिटनेश दिनांक 29-01-2024 तक ही वैध रहने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC5455	BR/SC/106/518/2011	09-08-2026	29-01-2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14-04-2024	14-Jan-25	24-Sep-24	Not Installed

प्राधिकार के सभी बैठकों में वी.एल.टी.डी. स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। कागजात अद्यतन नहीं पाये जाने पर जुर्माना करते हुए प्राधिकार द्वारा कई बार समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गयी है। उसके बावजूद आपके द्वारा बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का सभी कागजात 15 दिनों में अद्यतन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।